



DR. BHIMRAO AMBEDKAR GOVT. P. G. COLLEGE, NIMBAHERA
(DIST. CHITTORGARH) – RAJASTHAN, PINCODE: 312601
E-mail college.nimbahera@gmail.com

5.1.4 The Institution has a transparent mechanism for timely redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 3(54) शिक्षा-4/2002 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 25.06.2010

1. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
2. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।
3. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
4. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
5. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ।
6. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
7. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।
8. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर ।

विषय:- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों के संबंध में ।

संदर्भ:- विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 27.1.2010 एवं लिंगदोह समिति सिफारिशें
जिनमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.1.2010 द्वारा यह सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव शैक्षणिक पत्र 2010-11 से कराये जायें एवं इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से प्रेषित किये जायेंगे । इस पत्र के क्रम में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का अंग्रेजी एवं हिन्दी रुपान्तरण संलग्न प्रेषित किया जा रहा है । साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुकूल ही छात्रसंघ चुनाव कराये जाने हैं । इसके विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

1. छात्रसंघ चुनाव शैक्षणिक सत्र 2010-11 से प्रत्यक्ष अध्यक्षतात्मक सीधे चुनाव के आधार पर कराये जायेंगे ।
2. सभी संस्थारें, परिसर में अनुशासन जैसे प्राथमिक गुणों को अभीन रहते हुए चुनावों में एक रक्षणात्मक व्यवस्था को लागू करने का प्रयत्न करेंगी ।
3. सभी विश्वविद्यालयों द्वारा एक शीर्ष छात्र प्रतिनिधि निकाय का गठन किया जायेगा जो उस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सभी संघटक महाविद्यालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व करती होगी । विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सभी छात्र संघ पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे । साथ ही ऐसे विश्वविद्यालय जिनके संघटक महाविद्यालय/शैक्षणिक विभाग हैं, उन द्वारा अपने-अपने महाविद्यालयों/शैक्षणिक विभागों से विश्वविद्यालय छात्रसंघ हेतु प्रतिनिधियों का चुनाव विश्वविद्यालय छात्रसंघ हेतु करेंगे ये प्रतिनिधि प्रत्येक संघटक महाविद्यालयों से न्यूनतम 200 विद्यार्थियों पर 01 हो सकता है । लेकिन 4 प्रतिनिधि से अधिक नहीं होंगे एवं प्रत्येक शैक्षणिक अनुभाग से न्यूनतम एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा । इन प्रतिनिधियों में से विश्वविद्यालय छात्रसंघ द्वारा अपनी कार्यकारिणी बनाई जा सकेगी ।

- (xiii) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निष्ठा पर्यवेक्षक नियुक्त किये जायेंगे ।
 उम्मीद विश्वविद्यालय व भविष्यपोषित संस्थाओं के प्रसंग में सरकारी कर्मचारी भी पर्यवेक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं ।
 यदि उम्मीदवारों को चुनावों के संचालन से संबंधित कोई विशेष शिकायत अथवा समस्या हो तो वे उस समस्या को पर्यवेक्षक के ध्यान में लायेंगे ।
- (xiv) मतदान समाप्ति के 48 घंटे के भीतर मतदान क्षेत्र की सपाईं सुनिश्चित करना सभी उम्मीदवारों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी ।
- (xv) उपरोक्त शिफारिशों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर उम्मीदवार उसकी उम्मीदवारीता खो सकेगा या उसे निर्वाचित पद से भी वंचित किया जा सकेगा । जैसा कि प्रासंगिक हो । ऐसे उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा भी की जा सकेगी ।
- (xvi) उपरोक्त वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान (sec 153 A and chapter IX A- चुनावों से संबंधित अपराध) भी छात्र संघ चुनावों पर लागू किये जा सकेंगे ।

(12) शिकायत निवारण तन्त्र :

- (i) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा जिसका चैयरमैन डीन छात्र कल्याण/छात्र कार्यकलापों का इनचार्ज अध्यापक होगा, इसके साथ ही एक वरिष्ठ संकाय सदस्य, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व दो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी-एक लड़का एवं एक लड़की योग्यता या सह शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर चैयरमैन द्वारा नामित किये जा सकेंगे (जब तक चुनाव परिणाम घोषित किये जाते हैं) ।

उक्त शिकायत प्रकोष्ठ को चुनाव से संबंधित शिकायतों के निवारण का अधिकार होगा जो कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी खर्च संबंधी शिकायतों को समाहित करेगा पर उन तक सीमित नहीं होगा । यह प्रकोष्ठ संस्था की नियमित इकाई होगा ।

- (ii) अपने कर्तव्यों के निष्पादन में यह शिकायत प्रकोष्ठ आचरण संहिता के किसी पक्ष के उल्लंघनकर्ताओं या शिकायत प्रकोष्ठ के आदेशों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित कर सकेगा । यह शिकायत प्रकोष्ठ एक मौलिक क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में कार्य करेगा ।

संसदीय अध्यापक (राजकीय विश्वविद्यालयों के प्रकरण में कुलपति/निजी विश्वविद्यालयों के प्रकरण में प्रिंसिपल) व महाविद्यालयों के प्रकरण में प्राचार्य तथा शैक्षणिक अनुभागों के प्रकरण में संबंधित अनुभाग का विभागाध्यक्ष) को चुनावों के संचालन से संबंधित सभी केरोज या विवादों और कानून एवं तथ्य संबंधित सभी मुद्दों पर अपीलनीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा जिनमें उक्त प्रकोष्ठ ने अपना मौसला चुनावों को ।

पुनर्समीक्षा पर संस्था अध्यापक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों को रद्द अथवा परिवर्तित कर सकता है ।

- (iii) इस कार्यालय के कर्तव्यों का निष्पादन करते समय शिकायत प्रकोष्ठ ऐसी प्रक्रियाओं और सुनवाईयों का संचालन करेगा जो इन कर्तव्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक होगी । इन कर्तव्यों को पूरा करते समय उसे अधिकार होगा कि -

(अ) आज्ञा जारी कर सम्मन से उम्मीदवारों, एजेन्टों, कार्यकर्ताओं को और छात्रों को बाध्य रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य देने और आवश्यक शिकाई प्रस्तुत करने हेतु

(ब) किसी उम्मीदवार की वित्तीय रिपोर्टों का निरीक्षण करना और प्रार्थना पर ऐसे दस्तावेज को जन-विवेचना हेतु उपलब्ध कराना ।

(iv) शिकायत प्रकोष्ठ के सदस्य शिकायत दर्ज करने से प्रतिबंधित किये गये हैं । कोई भी अन्य विशार्थी चुनाव परिणाम घोषित होने के तीन हफ्ते के भीतर शिकायत प्रकोष्ठ के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है । ऐसी सारी शिकायतें शिकायत कर्ता विशार्थी के नाम से ही दर्ज की जायेगी ।

शिकायत प्रकोष्ठ ऐसी सभी शिकायतों के प्राप्त होने के 24 घंटे में कार्यवाही करेगा । या तो उन्हें रद्द करेगा या सुनवाई करेगा ।

(v) शिकायत प्रकोष्ठ शिकायत को रद्द कर सकता है यदि :

(अ) ऐसी शिकायत उपरोक्त सिफारिश में प्रस्तावित समय सीमा के अन्दर दल नहीं की गई हो ।

(ब) यदि शिकायत ऐसा कोई कारण नहीं बता पाती जिसके लिए राहत दी जा सके ।

(ग) शिकायतकर्ता का स्वयं कोई क्षति नहीं हुई है या क्षति होने की सम्भावना नहीं है ।

(vi) यदि कोई शिकायत रद्द नहीं हुई है तो सुनवाई अवश्य होनी चाहिए ।

शिकायत प्रकोष्ठ या तो लिखित में या ई-मेल से शिकायतकर्ता पक्ष एवं सभी व्यक्तियों या समूहों जिनका नाम शिकायत में लिया गया है सुनवाई के समय और स्थान के बारे में सूचित करेगा । संबंधित पक्ष तब तक अभिसूचित नहीं मने जायेंगे जब तक उन्होंने शिकायत की एक प्रति प्राप्त नहीं कर ली ।

(vii) सुनवाई शीघ्रतापूर्वक की जायेगी पर यह उपरोक्त नोटिस के प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर नहीं होगी जब तक सभी पक्ष 24 घंटे की समय सीमा को शिथिल करने हेतु सहमत ना हो ।

(viii) जब सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाता है तब शिकायत प्रकोष्ठ बहुमत द्वारा एक अर्थात् नियंत्रण आदेश जारी कर सकता है यदि उसे लगता है कि ऐसा करना किसी व्यक्ति या इकाई पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकने हेतु आवश्यक है । कोई भी ऐसा नियंत्रण आदेश एक बार जारी किये के बाद तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक या तो शिकायत प्रकोष्ठ का निर्णय नहीं सुनाया जाता या परिवेदना प्रकोष्ठ द्वारा रोकना न गया हो ।

(ix) शिकायत प्रकोष्ठ की सभी सुनवाईयां, कार्यवाहियां और बैठकें जन सागान्य हेतु खुली होनी चाहिए ।

(x) सुनवाई के दौरान सभी पार्टीज उपस्थित होंगी और वे अपने साथ कोई अन्य विद्यार्थी रख सकती है, जिससे कि वे भाव ले सकें या जो वकील के रूप में उनका प्रतिनिधित्व कर सके ।

(xi) किसी भी सुनवाई हेतु शिकायत प्रकोष्ठ के सदस्यों का बहुमत उपस्थित होना चाहिए और साथ ही यह आवश्यक है कि शिकायत प्रकोष्ठ का अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहा हो ।

(xii) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता की जिम्मेदारी ऐसे सदस्य की होगी जो कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो ।

सुनवाई का प्रारूप शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित किया जायेगा पर यह आवश्यक है कि शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी दोनों ही पक्ष शारीरिक रूप से बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों जिससे मुद्दों पर चर्चा एवं परिवाद, जवाब, सफाई एवं प्रत्युत्तर, प्रारूप सुनवाई का उद्देश्य चुनावी झगड़े को सुलझाने में दिये जाने वाले निर्णय या आदेश या नियम को लेने

हेतु आवश्यक सूचना एकत्रित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु सुनवाईयों पर निम्न नियम की पालना होनी चाहिए :-

- (क) शिकायतकर्ता पक्ष को दो से अधिक साक्षियों को रखने की अनुमति नहीं होगी तथापि शिकायत प्रकोष्ठ आवश्यकतानुसार साक्षियों को बुला सकेगा।
- (ख) यदि उपरोक्त साक्षी सुनवाई हेतु उपस्थित होने में असमर्थ हों तो शिकायत प्रकोष्ठ अध्यक्ष को हस्ताक्षरित शपथ प्रोक्सी साक्षियों हेतु प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
- (ग) विवादग्रस्त पक्षों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न और चर्चाओं को शिकायत प्रकोष्ठ को घोषित किया जाएगा।
- (घ) सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष या गवाह का प्रत्यक्ष या प्रति परीक्षा शिकायतकर्ता अथवा प्रतिवादी पार्टियों द्वारा नहीं की जायेगी।
- (ङ) शिकायतकर्ता द्वारा याजिब-समय सीमा निर्धारित की जा सकेगी बशर्त वे दोनों से निष्पक्ष और समान व्यवहार करते हों।
- (च) दोष सिद्ध का उत्तरदायित्व शिकायतकर्ता पक्ष का होगा।
- (छ) शिकायतकर्ता प्रकोष्ठ के निर्णय, आदेश और नियम उपस्थित शिकायत प्रकोष्ठ के बहुमत से पारित हो और सुनवाई के बाद जितना शीघ्र हो सके घोषित किये जाये। शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा नियम के बारे में लिखित पाग निर्णय सुनाये जाने के 12 घंटे के अन्दर जारी की जानी होगी। इस लिखित राय में शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा तथ्यपरक निष्कर्ष और विधिसम्मत निर्णय जो ऐसी findings का समर्थन करते हों, का उल्लेख होना चाहिए।

ऐसी लिखित राय तीन चुनाव प्रक्रिया की अवधि तक शिकायत प्रकोष्ठ को उसके कार्यकलापों में सहयोग करेगी। पूर्व लिखित ऐसी रायों को देखने के पश्चात् शिकायत प्रकोष्ठ निर्णय पलट सकता है पर उसे ऐसा करने के कारणों को लेखमद्ध कर उपलब्ध कराना होगा।

- (थ) यदि शिकायत प्रकोष्ठ के निर्णय के विरुद्ध संस्था अध्यक्ष को अपील की जाती है तो शिकायत प्रकोष्ठ तुरन्त ही अपना निर्णय संस्था अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।
- (द) शिकायत प्रकोष्ठ ऐसे समाधान या प्रतिबन्ध को चुनेगा जो कि उल्लंघन के प्रद्वार और गम्भीरता के सबसे अधिक अनुरूप हो और उल्लंघनकर्ता के आशय या मानसिक अवस्था को दर्शाता हो। समाहित समाधान या प्रतिबंध समाहित करते हैं, जुर्मानों, प्रचार अभियान के विशेषाधिकार के निलम्बन और चुनाव से अयोग्य करने पर काल इन तक ही सीमित नहीं है।
- (घ) कोई भी जुर्माना या जुर्माने की कुल राशि जो कि एक उम्मीदवार के विरुद्ध विद्या गया हो निर्धारित खर्च की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (न) यदि किसी सुनवाई के पश्चात् शिकायत प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस संहिता के प्रायधानों का उल्लंघन उम्मीदवार, उसके अभिकर्ता या कार्यकर्ता द्वारा किया गया है तो शिकायत प्रकोष्ठ ऐसे उम्मीदवार या उसके एजेन्ट या कार्यकर्ताओं को कुछ या शेष प्रचार समय में भाग लेने से प्रतिबन्धित कर सकता है।
- (य) यदि ऐसा आदेश बचे हुए समय के कुछ हिस्से के लिए है तो यह तुरन्त प्रभावी हो जाएगा जिससे कि उम्मीदवार के पास चुनाव के दिनों से एकदम पहले य साथ-साथ में चुनाव प्रचार संपिस शुरू करने का अवसर मिल सके।
- (र) यदि सुनवाई के पश्चात् प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस संहिता के प्रायधान या उसके कार्यकर्ताओं द्वारा जानबूझकर और खुला उल्लंघन किया गया तो शिकायत प्रकोष्ठ उसको अयोग्य कर सकता है।

- (र) यदि कोई छात्र शिकायत प्रकोष्ठ के किसी फैसले से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है तो वह संस्था अध्यक्ष के समक्ष प्रतिकूल निर्णय सुनाये जाने के 24 घंटे के अन्दर एक अपील दायर कर सकता है। संस्थागत अध्यक्ष के द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ के उपर उन सभी प्रकरणों में विवेकाधिकार पूर्ण अपीलिय क्षेत्राधिकार होगा जिनमें शिकायतकर्ता प्रकोष्ठ पर गलती आरोपित की गई है।
- (ल) जब तक संस्था अध्यक्ष द्वारा अपील सुनी जाकर निर्णय सुनाया जाता है तब तक शिकायत प्रकोष्ठ का निर्णय वैध एवं पूर्ण प्रभावी होगा।
- (व) संस्था अध्यक्ष द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ नियमों से संबंधित अपील शीघ्रातिशय सुनी जायेगी पर यह शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा अपीलार्थी और संस्था अध्यक्ष को अपनी लिखित राय की प्रति दिये जाने के बाद के 24 घंटों के अन्दर नहीं होगा। अपील इस समय से पहले सुनी जा सकेगी पर केवल तब जब अपीलार्थी लिखित राय के अधिकार में शिथिलीकरण चाहे और संस्था अध्यक्ष ऐसे शिथिलीकरण को सहमति प्रदान करें।
- संस्था अध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा जारी नियम का क्रियान्वयन रोकने या लंबित करने हेतु समुचित आदेश निकाल सकता है। जब तक कि अपीलों का निर्णय नहीं हो जाए।
- (स) संस्था अध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ठ के निष्कर्ष की समीक्षा अपील होने पर करेगा और यह शिकायत प्रकोष्ठ के निर्णय को सहमति या उलट सकता है या प्रतिबन्धों में संशोधन कर सकता है।

(13) चुनाव प्रक्रिया के दौरान परिसर में कानून-व्यवस्था बनाये रखना।

कानून की धोर अयहेलना की कोई घटना या कोई आपराधिक कृत्य घटित होने पर उसकी सूचना महाविद्यालय / विश्वविद्यालय प्रशासन / संबंधित शैक्षणिक अनुभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा पुलिस को यथाशीघ्र दी जाएगी जो अपराध घटने के 12 घंटे के अन्दर होनी अनिवार्य है।

(14) विविध सिफारिशें -

- (i) छात्र प्रतिनिधित्व हेतु विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालयों के संगठक अनुभागों के नियमों में छात्र प्रतिनिधित्व हेतु स्पष्ट प्रावधान करें।
- (ii) छात्र प्रतिनिधित्व का एक नियम / कानून द्वारा नियमन होगा जिसमें इन सिफारिशों से समाहित किया जावे।
- (iii) संस्था द्वारा नेतृत्व क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक संगठनों की मदद लेकर चलाए जावें जिससे कि छात्रों का विकास हो और उनमें नेतृत्व गुणों को प्रवर्धित / रोपित किया जा सके।
- (iv) यदि चुनाव सम्पन्न होने के दो महिने के अन्दर किसी बड़े पदाधिकारी का कार्यालय पर रिक्त हो जाता है तो पुनः चुनाव कराये जाने चाहिए या उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया जाकर इसी प्रकार संयुक्त सचिव को सचिव के पद पर पदोन्नति प्रकरणानुसार दी जा सकती है।
- (v) प्रत्येक वर्ष छात्रसंघ चुनाव वार्षिक आधार पर आयोजित किये जायेंगे, जो शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के 8 से 8 सप्ताह के मध्य आयोजित होंगे। अतः सभी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय एवं शैक्षणिक अनुभागों से संबंधित वर्तमान छात्रसंघ विधानों पर उपरोक्तानुसार सभी प्रावधान लागू होंगे।

For student union :-

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा (राज.)

क्रमांक :

दिनांक : 21.8.2017

छात्रसंघ निर्वाचन सत्र -2017 शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक एफ 7(4) अकाद/निकाशि/छात्र-संघ चुनाव/2012/513 दिनांक 16.08.2017 एवं संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा के पत्रांक प 3 (54) शिक्षा-4/2002 पार्ट दिनांक 18.08.2017 द्वारा इस महाविद्यालय में सत्र 2017-18 हेतु छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव होंगे। राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के पत्रांक प.3 (54) शिक्षा-4/2002 पार्ट, जयपुर दिनांक 25.6.2010 की अनुपालना में इस हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन निम्नानुसार किया जाता है, जो चुनाव से सम्बंधित शिकायतों का निवारण करेगा :-

- | | |
|---|-----------|
| 1. प्रो. भरतदास वैष्णव | - चेयरमेन |
| 2. डॉ. देवाराज | - सदस्य |
| 3. तहसीलदार निम्बाहेड़ा, प्र.अधिकारी | - सदस्य |
| 4. श्री देवकी चंदन शर्मा | - सदस्य |
| 5. सुश्री रानु कुमारी रेगर छात्रा एम.ए., उत्तरार्द्ध हिन्दी | - सदस्य |
| 6. श्री राकेश आचार्य छात्र एम.ए. उत्तरार्द्ध इतिहास | - सदस्य |

प्राचार्य

डॉ. भीमराव अम्बेडकर
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
निम्बाहेड़ा (राज.)

क्रमांक :

दिनांक : 21.8.2017

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् तहसीलदार सा. निम्बाहेड़ा।
2. श्री
3. छात्रसंघ नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल/मुख्य निर्वाचन अधिकारी

प्राचार्य

डॉ. भीमराव अम्बेडकर
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
निम्बाहेड़ा (राज.)




डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा (राज.)

क्रमांक :116...

दिनांक : 18.08.2022

छात्रसंघ निर्वाचन सत्र -2022
शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक एफ 7(4) छात्र-संघ चुनाव /अकाद/आकाशि/2022/653 दिनांक 08.08.2022 एवं उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क : प 3(54) शिक्षा-4/2002 पार्ट दिनांक 29.07.2022 के आदेशानुसार महाविद्यालय में छात्र-संघ चुनाव दिनांक 26.08.2022 को मतदान और दिनांक 27.08.2022 को मतगणना करते हुए सम्पन्न करवाए जाने है। चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव होंगे। इस हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन निम्नानुसार किया जाता है, जो चुनाव से सम्बंधित शिकायतों का निवारण करेगा :-

1. डॉ. हस्तीमल कोठारी, वरिष्ठ संकाय सदस्य  - चेयरमेन
2. श्री भगवान साहु, वरिष्ठ संकाय सदस्य  - सदस्य
3. डॉ. देवाराम, वरिष्ठ संकाय सदस्य - सदस्य
4. श्री गोपाललाल बंजारा, तहसीलदार निम्बाहेड़ा, प्र.अधिकारी- सदस्य
5. मो. आसिफ, प्रयोगशाला सहायक  - सदस्य
6. श्री मनोज शर्मा (एम.ए. राजनीति विज्ञान) - सदस्य
7. सुश्री ममता कुमारी गायरी (एम.ए. हिन्दी साहित्य) - सदस्य


प्राचार्य
डॉ. भीमराव अम्बेडकर
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
निम्बाहेड़ा (राज.)

क्रमांक :

दिनांक : 18.08.2022

प्रतिलिपि :-

1. डॉ. हस्तीमल कोठारी
2. श्री भगवान साहु
3. डॉ. देवाराम
4. श्री गोपाललाल बंजारा तहसीलदार निम्बाहेड़ा,
5. मो. आसिफ
6. मनोज शर्मा (एम.ए. राजनीति विज्ञान)
7. सुश्री ममता कुमारी गायरी (एम.ए. हिन्दी साहित्य)


प्राचार्य
डॉ. भीमराव अम्बेडकर
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
निम्बाहेड़ा (राज.)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JI N Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph: 0141-2706550

क्रमांक: एफ 7(4)छात्रसंघ चुनाव/अकाद/आकाशि/2022/153

दिनांक: 8/8/2022

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

प्रो. इशारा मोहम्मद
उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर
सेल नं. 2706550

विषय :- महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव करवाने बाबत।

सन्दर्भ :- संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के
पत्रांक प.3(54)शिक्षा-4/2022/पार्ट जयपुर दिनांक 29.07.2022.

महोदय,



उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित की छाया प्रति सलग्न कर लेख है कि महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव के सम्बन्ध में लिंगदोह समिति की सिफारिशों व विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए छात्रसंघ चुनाव निर्धारित कार्यक्रमानुसार सम्पन्न करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

संयुक्त
कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- ✓ 3. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय।

Shubana
8/8/22
(शैला महान)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Sexual Harassment and Anti-Ragging Committee :-

कार्यालय प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा (राज.)
क्रमांक दिनांक : 12.07.2022

कार्यालय आदेश
महाविद्यालय के विकास, शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक एवं शिक्षणोत्तर गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक, वित्तीय, परीक्षा तथा संरचनात्मक जैसे संबंधी कार्यों के सुचारु संचालन हेतु निम्न समितियों का पुनर्गठन शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए तत्काल प्रभाव से किया जाता है। समितियों तुरंत प्रभाव से आवंटित कार्यों/दायित्वों का संचालन/निष्पादन प्रारम्भ करते हुए संज्ञात पूर्व वार्षिक कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी :-

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Secretary, Staff Council | - | Sh. Ishaq Mohmmad |
| 2. IQAC/AQAR/APP | - | Sh. Ishaq Mohmmad
Dr. H.M. Kothari
Sh. Bhagwan Sahu
Dr. Deva Ram
Dr. Rajendra Kumar Singhvi
Dr. Neelam Sethi |
| 3. Mahavidyalay Vikas Samiti | - | Sh. Ishaq Mohmmad (Secretary)
Dr. H.M. Kothari (Tresurer) |
| 4. Store, Tender & Purchase Committee | - | Sh. Ishaq Mohmmad (Convener)
Dr. H.M. Kothari
Bhagwan Sahu
Dr. Rajendra Singhvi
Smt. Seema Vijay
Sh. Bhanwar Singh
Sh. Mohd. Asif |
| 5. Private College Inspection Committee | - | Sh. Ishaq Moh. (Convener)
Dr. H.M. Kothari
Dr. Deva Ram
Dr. Rajendra Kumar Singhvi |
| 6. Discipline & Anti Raging Committee & Student Grievance Cell | - | Sh. Ishaq Mohmmad (Convener)
Dr. H.M. Kothari
Sh. Bhagwan Sahu
Dr. Deva Ram
Dr. Rajendra Kumar Singhvi
Dr. Shilpa Nagori |
| 7. Nodal Officer Academic & Establishment | - | Dr. H.M. Kothari |
| 8. Incharge Income Tax | - | Dr. H.M. Kothari |
| 9. Incharge Legal Metters | - | Dr. H.M. Kothari |
| 10. University Exam, Affiliation & other Works | - | Dr. H.M. Kothari (Convener)
Sh. Bhagwan Sahu (Co- Convener) |
| 11. Incharge Assembly Question/Ans. | - | Dr. H.M. Kothari (Incharge)
Dr. Subhash Chandra Yadav |
| 12. Time Table & Work Load Committee | - | Dr. H.M. Kothari (Convener)
Sh. Bhagwan Sahu |
| 13. Research Development Cell | - | Dr. H.M. Kothari (Convener)
Dr. Deva Ram
Dr. Rajendra Kuamr Singhvi |
| 14. Alarani Cell | - | Sh. Bhagwan Sahu (Convener)
Dr. Deva Ram
Dr. Neelam Sethi |
| 15. RUSA | - | Sh. Bhagwan Sahu (Nodal Officer) |
| 16. Yuva Koushal Vikas Prakostha & Innovation cell | - | Sh. BhagwanSahu (Cordinator)
Dr. Deva Ram
Dr. Rajendra Kumar Singhvi
Dr. Neelam Sethi |

- | | | |
|---|---|---|
| 17. Student Advisory Bureau | - | Sh. Bhagwan Sahu (Chif Advisor)
Smt. Seema Vijay (Co- Advisor) |
| 18. College Magazine Committee | - | Sh. Bhagwan Sahu (Convener)
Dr. Rajendra Kumar Singhvi (Co-Convener) |
| 19. Career Guidance Cell | - | Dr. Rajendra Kumar Singhvi (Convener)
Dr. Subhash Chandra Yadav |
| 20. UGC | - | Dr. Deva Ram, (Cordinator)
Dr. Neelam Sethi (Co-Con.) |
| 21. IGNOU | - | Dr. Deva Ram (Incharge)
Dr. Neelam Sethi (Member) |
| 22. Cultural & Literary Activities | - | Dr. Rajendra Kumar Singhvi (Convener)
Smt. Seema Vijay
Dr. Subhash Chandra Yadav
Dr. Shilpa Nagori
Dr. Neelam Sethi |
| 23. Incharge AISHE | - | Dr. Rajendra Kumar Singhvi |
| 24. Incharge Library | - | Dr. Rajendra Kumar Singhvi
Dr. Subhash Chandra Yadav |
| 25. Computer Lab, Language Lab & LSM | - | Dr. Rajendra Kumar Singhvi (Incharge)
Dr. Neelam Sethi |
| 26. Games Committee | - | Dr. Subhas Chandra Yadav (Incharge)
Dr. Shilpa Nagori |
| 27. SC/ST Cell | - | Dr. Subhas Chandra Yadav(Incharge) |
| 28. Women Cell (Mahila Prokosta) | - | Smt. Seema Vijay (Convener)
Dr. Shilpa Nagori
Dr. Neelam Sethi |
| 29. Women Sex Harassment
Prohibition Committee
& Redressal Cell | - | Smt. Seema Vijay(Convener)
Dr. Shilpa Nagori (Member)
Mr. Wazahat Khan – NGO (Member) |
| 30. Red Ribeen Club | - | Dr. Shilpa Nagori (Convener) |
| 31. UDAAN | - | Dr. Neelam Sethi (Convener) |
| 32. Nodal Officer College Web Page/HTE | - | Dr. Neelam Sethi (Incharge) |
| 33. Programme Officer NSS | - | Dr. Neelam Sethi (Unit 1)
Dr Shilpa Nagori (Unit 2) |
| 34. Internal Audit | - | Dr. Neelam Sethi (Incharge) |
| 36. Scholarship Committee | | |
| • Medhavi Chhatra Scooty, Devnarayan Scooty &
CM Scholarship | - | Smt. Seema Vijay (Incharge) |
| • Post Matric Scholarship (SC, ST & OBC) | - | Dr. Shilpa Nagori (Incharge) |
| • Minority Scholarship, Shram Kaylan &
other Scholarship | - | Dr. Shilpa Nagori (Incharge) |

31/-
प्राचार्य
डॉ. प्रमोद कुमार
Principal
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
निम्बगहेड़ा (राज.)

क्रमांक 69-87
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 12.07.2022

Sexual Harassment and Anti-Ragging Committee :-

कार्यालय प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निम्बाहेडा (राज.)
क्रमांक 125 दिनांक : 22.07.2020

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय के विकास, शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक एवं शिक्षणोत्तर गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक, वित्तीय, परीक्षा तथा संरचनात्मक ढांचे संबंधी कार्यों के सुचारु संचालन हेतु निम्न समितियों का पुर्नगठन शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए तत्काल प्रभाव से किया जाता है। समितियाँ तुरंत प्रभाव से आवंटित कार्यों/दायित्वों का संचालन/निष्पादन प्रारम्भ करते हुए संत्रात पूर्व वार्षिक कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी :-

1. Secretary, Staff Council	-	Sh. Ishaq Mohmmad
2. IQAC/AQAR	-	Sh. Ishaq Mohmmad Dr. H.M. Kothari Sh. Bhagwan Sahu Dr. Deva Ram Dr. Rajendra Kumar Singhvi
3. Nodal Officer Academic & Establishment	-	Dr. H.M. Kothari
4. Incharge Budget Utilization	-	Dr. H.M. Kothari
5. Incharge Income Tax	-	Dr. H.M. Kothari
6. Incharge Legal Metters	-	Dr. H.M. Kothari
7. Mahavidyalay Vikas Samiti	-	Sh. Ishaq Mohmmad (Secretary) Dr. H.M. Kothari (Tresurer)
8. University Exam, Affiliation & other Works	-	Dr. H.M. Kothari (Convener) Sh. Bhagwan Sahu (Co- Convener)
9. Incharge Assembly Question/Ans.	-	Dr. H.M. Kothari (Incharge) Sh. Yogendra Singh Sehra (Member)
10. Time Table & Work Load Committee	-	Dr. H.M. Kothari (Convener) Sh. Bhagwan Sahu (Member) Sh. Yogendra Singh Sehra (Member)
11. Private College Inspection Committee	-	Sh. Ishaq Moh. (Convener) Dr. H.M. Kothari (Member) Dr. Deva Ram (Member) Dr. Rajendra Kumar Singhvi (Member)
12. Discipline & Anti Raging Committee & Student Grievance Redressal Cell	-	Sh. Ishaq Mohmmad (Convener) Dr. H.M. Kothari (Member) Sh. Bhagwan Sahu (Member) Dr. Deva Ram (Member) Dr. Rajendra Kumar Singhvi (Member) Dr. Shilpa Nagori (Member)
13. Nodal Officer, RUSA	-	Sh. Bhagwan Sahu
14. Cordinator, Yuva Koushal Vikas Prakostha-	-	Sh.. BhagwanSahu
15. Student Advisory Bureau	-	Sh. Bhagwan Sahu (Chif Advisor) Dr. Seema Vijay (Co- Advisor)
16. Career Guidance Cell	-	Dr. Rajendra Kumar Singhvi (Convener) Dr. Subhas Chandra Yadav (Member)
17. College Magazine Committee	-	Sh. Bhagwan Sahu (Convener) Dr. Rajendra Kumar Singhvi(Member)
18 Nodal Officer College Web Page/HTE	-	Dr. Neelam Sethi (Incharge)
19 Incharge UGC	-	Dr. Deva Ram, Dr. Neelam Sethi (Co-Con.)
20 IGNOU AAP	-	Dr. Deva Ram (Incharge) Dr. Neelam Sethi (Member)
21 Cultural & Literary Activities	-	Dr. Rajendra Kumar Singhvi (Convener) Smt. Seema Vijay (Member) Dr. Subhash Chandra Yadav (Member) Dr. Neelam Sethi (Member)
22 Women Cell (Mahila Prokostha)	-	Smt. Seema Vijay (Convener) Dr. Shilpa Nagori Smt. Reena Salodiya Dr. Neelam Sethi
23 Women Sex Harassment Prohibition Committee & Redressal Cell	-	Smt. Seema Vijay(Convener) Dr. Shilpa Nagori (Member) Mr. Wazahat Khan – NGO (Member)

प्राचार्य
डॉ. भीमराव अम्बेडकर
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
निम्बाहेडा (राज.)

24 Incharge AISHE	-	Dr. Rajendra Kumar Singhvi
25 Incharge Library	-	Dr. Rajendra Kumar Singhvi Dr. Subhash Chandra Yadav Sh. Yogendra Singh Sehra Dr. Neelam Sethi
26 YDC & IDEA	-	Dr. Rajendra kumar singhvi (Incharge) Smt. Reena Salodiya (Co-Incharge)
27 Store & Purchase Committee	-	Sh. Ishaq Mohmmad (Convener) Bhagwan Sahu (Member) Smt. Seema Vijay (Member) Sh. Deepak Verma (Member) Sh. KG Daga (Member) Sh. Pooran Singh Panwar (Member) Sh. Bhanwar Singh (Member) Sh. Mohd. Asif (Member)
28 Games Committe	-	Dr. Subhas Chandra Yadav (Convener) Sh. Yogendra Singh Sehra (Co- Convener)
29 Human Right Execution & Consumer Club	-	Dr. Deva Ram (Incharge) Sh. Deepak Verma (Member)
29 SC/ST Cell	-	Dr. Subhas Chandra Yadav(Incharge) Sh. Yogendra Singh Sehra (Member) Smt.. Reena Salodiya (Member)
30 Programme Officer NSS	-	Sh. Deepak Verma (Unit 1) Dr Shilpa Nagori (Unit 2)
31 Sanetization, Environment & Cleanliness	-	Dr Shilpa Nagori (Incharge) Sh. Deepak Verma (Member)
32 Internal Audit	-	Sh. Deepak Varma (Convener)
35. E- Class & Smart Class	-	Sh. Deepak Verma (Incharge)
36. Computer Lab & Langauge Lab	-	Dr. Rajendra Kumar singhvi (Incharge) Dr. Neelam Sethi (Member)
37. LSM	-	Dr. Rajendra Kumar singhvi (Nodel) Dr. Shilpa Nagori (Member) Smt. Reena Salodia (Member) Dr. Neelam Sethi (Member)
38. Scholarship Committee		
• Medhavi Chhatra Scooty, Devnarayan Scooty & CM Scholership	-	Smt. Seema Vijay (Incharge)
• Post Matric Scholership (SC, ST & OBC)	-	Smt. Reena Salodiya (Incharge)
• Minority Scholership, Shram Kaylan & other Scholership	-	Smt. Yogendera S.Sehra (Incharge)

Principal

क्रमांक

दिनांक : 22.07.2020

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित समस्त संयोजक, नोडल ऑफिसर, प्रभारी
2. कार्यालय प्रति/रक्षित प्रति।

Principal

प्राचार्य

डॉ. भीमराव शम्भूकर
जकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
निम्बहेड़ा (राज.)

Sexual Harassment and Anti-Ragging Committee :-

कार्यालय प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा (राज.)

क्रमांक : 459

दिनांक : 06.10.2022

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय के विकास, शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक एवं शिक्षणोत्तर गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक, वित्तीय, परीक्षा तथा संरचनात्मक ढाँचे संबंधी कार्यों के सुचारु संचालन हेतु निम्न समितियों का पुनर्गठन शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए तत्काल प्रभाव से किया जाता है। समितियाँ तुरंत प्रभाव से आवंटित कार्यों/दायित्वों का संचालन/निष्पादन प्रारम्भ करते हुए संज्ञात पूर्व वार्षिक कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी :-

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Secretary, Staff Council | - | Dr. H.M. Kothari |
| 2. IQAC/AQAR/APP | - | Dr. H.M. Kothari
Sh. Bhagwan Sahu
Dr. Deva Ram
Dr. Rajendra Kumar Singhvi
Dr. Neelam Sethi |
| 3. Mahavidyalay Vikas Samiti | - | Sh. Bhagwan Sahu (Secretary)
Dr. H.M. Kothari (Treasurer) |
| 4. Vidhya Samble Yogna | - | Dr. H.M. Kothari (Convener)
Sh. Bhagwan Sahu
Dr. Deva Ram
Dr. Rajendra Singhvi |
| 5. Store, Tender & Purchase Committee | - | Dr. H.M. Kothari (Convener)
Dr. Ashok Mulwani
Dr. Rajendra Singhvi
Dr. Shilpa Nagori
Sh. Udai Ram Ahir
Sh. Mohd. Asif |
| 6. Private College Inspection Committee | - | Dr. H.M. Kothari (Convener)
Sh. Bhagwan Sahu
Dr. Deva Ram
Dr. Rajendra Kumar Singhvi |
| 7. Discipline & Anti Raging Committee & Student Grievance Cell | - | Dr. H.M. Kothari (Convener)
Sh. Bhagwan Sahu
Dr. Deva Ram
Dr. Rajendra Kumar Singhvi
Dr. Shilpa Nagori |
| 8. Nodal Officer Academic & Establishment | - | Dr. H.M. Kothari
Sh. Bhagwan Sahu |
| 9. Income Tax | - | Dr. H.M. Kothari
Sh. Udai Ram Ahir |
| 10. University Exam, Affiliation & other Works | - | Dr. H.M. Kothari (Convener)
Sh. Bhagwan Sahu (Co- Convener)
Dr. Rajendra Kumar Singhvi |
| 11. Time Table & Work Load Committee | - | Dr. H.M. Kothari (Convener)
Sh. Bhagwan Sahu (Arts)
Dr. Neelam Sethi (Commerce)
Sh. Udai Ram Ahir (Science) |
| 12. Research Development Cell | - | Dr. H.M. Kothari (Convener)
Dr. Deva Ram
Dr. Rajendra Kuamr Singhvi |
| 13. Nodel Officer OAP 2022 | - | Sh. Bhagwan Sahu (PG Classes)
Dr. Deva Ram (UG Classes) |
| 14. Alumni Cell | - | Sh. Bhagwan Sahu (Convener)
Dr. Deva Ram
Dr. Neelam Sethi |
| 15. RUSA | - | Sh. Bhagwan Sahu (Nodal Officer)
Dr. Deva Ram |
| 16. Yuva Koushal Vikas Prakostha & Innovation cell | - | Sh. BhagwanSahu (Cordinator)
Dr. Deva Ram
Dr. Rajendra Kumar Singhvi
Dr. Neelam Sethi |

17. Student Advisory Bureau	-	Sh. Bhagwan Sahu (Chif Advisor) Dr. Rajendra Kumar Singhvi (Co- Advisor)
18. College Magazine Committee	-	Sh. Bhagwan Sahu (Convener) Dr. Rajendra Kumar Singhvi (Co-Convener)
19. UGC	-	Dr. Deva Ram, (Cordinator) Dr. Neelam Sethi (Co-Con.)
20. IGNOU	-	Dr. Deva Ram (Incharge) Dr. Neelam Sethi (Member)
21. Plaing Fourm & Consumer club	-	Dr. Deva Ran (Convener) Dr. Ashok Mulwani
22. Incharge Legal Metters	-	Dr. Ashok Mulawani Dr. Neelam Sethi
23. Career Guidance Cell	-	Dr. Ashok Mulwani (Convener) Sh. Udai Ram Ahir
24. Assembly Question	-	Dr. Ashok Mulwani (Incharge) Sh. Udai Ram Ahir
25. Games Committe	-	Dr. Ashok Mulwani (Incharge) Dr. Shilpa Nagori
26. NSS Programme Officer	-	Dr. Ashok Mulwani (Unit-2) Dr. Neelam Sethi (Unit-1)
27. Human Right Execution Commitey	-	Dr. Ashok Mulwani Dr. Shilpa Nagori
28. Cultural & Literary Activities	-	Dr. Rajendra Kumar Singhvi (Convener) Dr. Shilpa Nagori Dr. Neelam Sethi
29. YDC, HR Mgt. & AISHE	-	Dr. Rajendra Kumar Singhvi Sh. Udai Ram Ahir
30. Incharge Library	-	Dr. Rajendra Kumar Singhvi Sh. Udai Ram Ahir
31. E-Classess, Computer Lab&Language Lab-	-	Sh. Udai Ram Ahir (Incharge)
32. Women Cell (Mahila Prokostha)	-	Dr. Shilpa Nagori (Convener) Dr. Neelam Sethi
33. Women Sex Harassment Prohibition Committee & Redressal Cell	-	Dr. Shilpa Nagori (Convener) Dr. Neelam Sethi (Member) Mr. Wazahat Khan – NGO (Member)
34. Red Ribeen Club	-	Dr. Shilpa Nagori (Convener)
35. ELC Club	-	Dr. Shilpa Nagori (Convener)
36. RR Mahila Niti-2021&UDAAN	-	Dr. Neelam Sethi (Convener)
37. Nodal Officer College Web Page & Sampark Portal	-	Dr. Neelam Sethi (Incharge) Sh. Udai Ram Ahir
38. Inernal Audit	-	Dr. Neelam Sethi
39. Scholarship Committee	-	
• Post Matric Scholership (SC, ST & OBC)	-	Dr. Shilpa Nagori
Minority Scholership, Shram Kaylan & other Scholership	-	Dr. Shilpa Nagori
• Medhavi Chhatra Scooty, Devnarayan Scooty & CM Scholership	-	Sh. Udai Ram Ahir

क्रमांक : 459-470

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित समस्त संयोजक, नोडल ऑफिसर, प्रमारी
2. ✓ कार्यालय प्रति/रक्षित प्रति।

Principal
दिनांक : 06.10.2022

प्राचार्य
डॉ. भीमराव अम्बेडकर
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
निम्बाहेड़ा (राज.)

Anti-ragging helpline desk :-

Weblink :- <https://www.ugc.gov.in/page/helpline.aspx>

**24 X 7 ANTI RAGGING
HELPLINE**



Toll Free No. :

1800 - 180 - 5522



E-mail

:helpline@antiragging.in

**Log on to
www.antiragging.in**

**and
www.amanmovement.org**